राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमाकः–एफ24(NOC17-18)/ बी.एड / आकाशि / 17 / 210 दिनांकः– 24.4.2017

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एसएलपी संख्या 5282–89 / 15 (एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज व अन्य बनाम राजस्थान राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2016 व एसएलपी संख्या 9193 / 16 (राज्य बनाम एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.09.16 एवं उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनाकं 07.02.17 की पालना में एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश क्रमाकं NRC/NCTE/RJ-10102/Recognition Common/B.Ed./2016/156537-61 dated 26.8.2016 and Corrigendum Order 157489-510 dated 05.9.2016 के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को **सत्र 2017–18** के लिए **बी.एड. पाठ्यक्रम (2 वर्षीय)** के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तो के अधीन अंतरिम रूप से जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. 2017 परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो संबधित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	जिला	सहशिक्षा / महिला	आवंटित सीट
1	डॉ0 के0 एन0 मोदी यूनिर्वसिटी, रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज– II, निवाई, तहसील–निवाई जिला–टोंक।	टोंक	सहशिक्षा	100 (2यूनिट)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4)विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. उपविधि परामर्शी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समन्वयक पी.टी.ई.टी. 2017, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
8. रजिस्ट्रार, डॉ0 के0एन0 मोदी यूनिर्वसिटी,निवाई, टोंक को भेजकर लेख कि संस्था का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन. सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 4 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल,भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
10. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
11. रजिस्ट्रार / प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
12. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।